संख्या-500/2025/318(1) के-2/22-3-2025-17(741)/2023

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 10 नवम्बर, 2025

विषय:- जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष सीमित सजा से दण्डित बंदी वीरेश पुत्र श्री रामवीर सिंह, निवासी जनपद-अलीगढ़ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-23743/प्रो0-7-फार्म-ए/2023/एम-07.06.2023, दिनांक-20.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष सीमित सजा से दण्डित बंदी वीरेश पुत्र श्री रामवीर सिंह, जो ग्राम-नगला पतेल, थाना-अकराबाद, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। दिनांक 26.06.2015 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी नहीं होने के कारण अपनी पत्नी श्रीमती सुरेखा की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-191/2016 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए व 4 डी0पी0 एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश-15, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 07.01.2019 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 30-07-2022 तक बंदी की आयु 44 वर्ष, 06 माह, 24 दिन है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बंदी के छूटने से किसी भी घटना से इंकार नहीं किये जाने, बंदी पुन: अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 26.06.2015 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी नहीं होने के कारण अपनी पत्नी श्रीमती सुरेखा नामक महिला की हत्या कर दी। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी वीरेश पुत्र श्री रामवीर सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष सीमित सजा से दण्डित बंदी वीरेश (बंदी संख्या-19/2019) पुत्र श्री रामवीर सिंह, निवासी जनपद-अलीगढ़ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-500/2025/318 (1) के-2/22-3-2025-17(741)/2023

दिनांक 10 नवम्बर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष सीमित सजा से दण्डित बंदी वीरेश पुत्र श्री रामवीर सिंह, जो ग्राम-नगला पतेल, थाना-अकराबाद, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। दिनांक 26.06.2015 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी नहीं होने के कारण अपनी पत्नी श्रीमती सुरेखा की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-191/2016 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए व 4 डी0पी0 एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश-15, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 07.01.2019 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 30-07-2022 तक बंदी की आयु 44 वर्ष, 06 माह, 24 दिन है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बंदी के छूटने से किसी भी घटना से इंकार नहीं किये जाने, बंदी पुन: अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 26.06.2015 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी नहीं होने के कारण अपनी पत्नी श्रीमती सुरेखा की हत्या कर दी। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी वीरेश पुत्र श्री रामवीर सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।